संख्या-32/2025/458/2025/12-2099/90/2023

प्रेषक,

रविन्द्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 मई, 2025

विषय-खरीफ अभियान, 2025 की फसल उत्पादन की रणनीति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में खरीफ एक महत्वपूर्ण फसल मौसम है। खरीफ-2024 में खाद्यान्न तथा तिलहनी फसलों के अन्तर्गत 103.84 लाख हे0 क्षेत्र आच्छादित हुआ एवं 260.31 लाख मी0टन का उत्पादन हुआ। आगामी खरीफ-2025 में कुल 2.21 लाख हे0 के क्षेत्र आच्छादन तथा 33.04 लाख मी0टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। उपरोक्त वृद्धि मुख्य फसलवार निम्नवत् लक्षित हैः-

क्र0 सं0	फसल	क्षेत्रफल में वृद्धि (लाख हे0)	उत्पादन में वृद्धि (लाख मी0टन)
1	धान (चावल)	7.24(-)	2.25
2	बाजरा	1.67	7.18
3	ज्वार	0.33	0.93
4	अन्य श्री अन्न	0.01	0.07
5	मक्का	3.41	14.62
6	दलहन	3.81	5.46
7	तिलहन	0.22	2.53
	कुल	**2.21**	**33.04**

2. राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर खरीफ 2024-25 में फसलों के उत्पादन की स्थिति व प्रदेश का वर्ष 2025-26 का उत्पादन लक्ष्य निम्नवत् हैः-

राष्ट्रीय स्तर पर**			**प्रदेश स्तर पर**			
फसल	**क्षेत्रफल (लाख हे0) (2024-25)**	**उत्पादन (2024-25) (लाखमी0 टन)**	**क्षेत्रफल (लाख हे0) (2024-25)***	**उत्पादन (2024-25) * (लाख मी0 टन)**	**क्षेत्रफल (लाख हे0) (2025-26)**	**उत्पादन-लक्ष्य (2025-26) (लाखमी0टन)**
धान(चावल)	434.18	1206.79	72.24	212.25	65.000	214.500
बाजरा	68.35	94.90	9.61	21.03	11.284	28.210
ज्वार	18.25	21.84	2.68	5.09	3.010	6.020
अन्य श्री	4.13	3.86	0.31	0.25	0.320	0.320

अन्न						
मक्का	84.37	248.11	5.42	11.87	8.830	26.490
दलहन	112.50	71.48	5.17	3.69	8.980	9.130
कुल खाद्यान	733.38	1663.91	95.43	254.18	97.424	284.687
तिलहन	199.13	276.38	8.21	6.06	8.430	8.430

*** वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर के ऑकड़े UPAG पोर्टल से लिये गये है।**

**** वर्ष 2024-25 में ऑकड़े द्वितीय अग्रिम अनुमान से लिये गये है, ऑकड़े परिवर्तनीय है।**

3. राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर खरीफ-2024 में उर्वरकों का कुल विक्रय एवं खरीफ-2025 में अनुमानित आवश्यकता निम्नवत् है:-

उर्वरक	खरीफ-24 में राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय (लाख मी0टन)	खरीफ-25 मे राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय का अनुमान (लाख मी0टन)	खरीफ-24में प्रदेश स्तर पर विक्रय (लाख0मी0टन)	खरीफ-25 में प्रदेश स्तर पर विक्रय का अनुमान (लाख0मी0टन)	वृद्धि का प्रतिशत
यूरिया	189.11	189.11	39.00	39.92	2.36
डी0ए0पी0	46.11	46.11	7.02	10.00	42.45
एन0पी0के0	75.46	75.46	3.42	5.00	46.20
एम0ओ0पी0	9.27	9.27	0.48	1.25	160.42
एस0एस0पी0	23.55	23.55	2.47	3.00	21.46
योग	343.50	343.50	52.39	59.17	12.94

4. दलहनी फसलों के राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन व आयात की वर्तमान स्थिति व प्रोजेक्शन निम्नवत् है:-

दलहनी फसलें

(मिलियन टन)

वर्ष	2022-23	2028-29	2029-30	2030-31
मांग	29.47	31.83	32.64	35.23
उत्पादन	27.81	29.79	30.75	33.95
आयात की आवश्यकता	1.66	2.04	1.89	1.28

5. दलहनी फसलों का प्रदेश स्तर पर वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष-2023-24 तक क्षेत्राच्छादन व उत्पादन की स्थिति निम्नवत् रही है:-

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024* (द्वितीय अनुमान)
क्षेत्राच्छादन (लाख हे0)	23.70	23.80	26.93	27.56	30.43	25.85
उत्पादन (लाख टन)	24.47	25.34	29.20	29.79	34.12	32.80
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	1032	1064	1084	1081	1121	1269

*** वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर के ऑकड़े UPAG पोर्टल से लिये गये है।**

6. राष्ट्रीय स्तर पर तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024
क्षेत्राच्छादन (मि0 हे0)	27.13	28.83	28.95	30.24	30.19	29.43
उत्पादन (मि0 टन)	33.21	35.95	37.96	41.35	39.67	41.67
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	1224	1247	1312	1368	1314	1416

7.प्रदेश स्तर पर तिलहनी फसलों केक्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25** (द्वितीय अनुमान)
क्षेत्राच्छादन(लाख हे0)	11.97	14.22	18.06	19.19	22.52
उत्पादन (लाख टन)	17.95	19.97	26.86	28.31	29.00
उत्पादकता(कि0ग्रा0/हे0)	1065	1037	1194	1199	1288

**** वर्ष 2024-25 में ऑकड़े द्वितीय अग्रिम अनुमान से लिये गये है, ऑकड़े परिवर्तनीय है।**

8. विगत 05 वर्षों में प्रदेश में खरीफ में खाद्यान्न व तिलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि निम्नवत् रही:-

क्षेत्रफल- लाख हे0 में

उत्पादन लाख मै0 टन में

खाद्यान्न						तिलहन			
क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य	पूर्ति	उत्पादन का लक्ष्य	पूर्ति	क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य	पूर्ति	उत्पादन का लक्ष्य	पूर्ति
1.	2020	90.63	85.86	232.24	218.29	5.29	4.66	2.91	2.48
2.	2021	90.52	90.70	235.67	212.66	5.51	4.73	3.16	2.02
3.	2022	90.15	90.83	236.53	213.25	5.88	4.80	3.64	2.11
4.	2023	91.70	95.51	239.39	230.56	6.00	5.57	3.73	3.04
5.	2024*	96.03	95.45	241.08	254.20	5.92	8.21	3.45	6.06

9. उत्तर प्रदेश में विगत 06 वर्षो में खरीफ में खाद्यान्न व तिलहनी फसलों का उत्पादन निम्नवत रहा है:-

(लाख मी.टन में)

क्र.सं.		वर्ष					
		2019	2020	2021	2022	2023-24	2024-25
1.	खाद्यान्न उत्पादन	212.67	218.29	212.66	213.25	230.56	254.18
2.	तिलहन उत्पादन	1.65	2.48	2.02	2.11	3.04	6.06
योग		214.32	220.77	214.68	215.36	233.60	260.24

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि तिलहनी फसलों के उत्पादन में पिछले 5 वर्षो में आशा के अनुरूप वृद्धि हुई है।

10. प्रदेश में खरीफ के महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए राष्ट्रीय औसत व ऐसे प्रदेश जिनमें इन फसलों की उत्पादकता सबसे अधिक है उनसे तुलना आवश्यक है। उक्त क्रम में स्थिति निम्नवत है:-

(उत्पादकता कुन्तल प्रति हे0)

क्र.स.	फसल	प्रदेश में उत्पादकता (2024)*	राष्ट्रीय औसत उत्पादकता 2024**(द्वितीय अग्रिम अनुमान पर आधारित)	अधिकतम उत्पादकता
1	धान(चावल)	29.38	27.79	43.92(पंजाब)
2	बाजरा	21.89	13.88	26.76(तमिलनाडु)
3	मक्का	21.89	29.41	71.07(तमिलनाडु)
4	उर्द	6.26	06.09	12.38(केरल)
5	तिल	2.91	04.02	8.77(बिहार)
6	मूंगफली	12.10	20.88	26.58(गुजरात)

*** वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर के ऑकड़े UPAG पोर्टल से लिये गये है।**

**** वर्ष 2024-25 में ऑकड़े द्वितीय अग्रिम अनुमान से लिये गये है, ऑकड़े परिवर्तनीय है।**

11. खरीफ के महत्वपूर्ण फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता में विभिन्न जनपदों में व्यापक असमानता है। फसलवार यह स्थिति वर्ष 2024-25की निम्नवत है:-

फसल	अधिकतम उत्पादकता वाले जनपद	उत्पादकता (कु/हे.)	क्षेत्राच्छादन (हजार हे.)	न्यूनतम उत्पादकता वाले जनपद	उत्पादकता (कु/हे.)	क्षेत्राच्छादन (हजार हे.)
धान(चावल)	कानपुर देहात	36.21	73386	ललितपुर	12.84	1051
मक्का	मैनपुरी	36.29	17190	झाँसी	6.29	3495
उर्द	रामपुर	17.44	5063	महोबा	2.32	30864
तिल	हरदोई	7.13	9054	फर्रुक्खाबाद	0.59	311
मूंगफली	मैनपुरी	17.36	189	रायबरेली	9.10	145

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अधिकतम उत्पादकता वाले जनपदों के प्रगतिशील कृषकों के यहाँ अन्य जनपदों के कृषकों व वैज्ञानिकों/अधिकारियों को फील्ड विजिट/प्रशिक्षण पर भेजा जाए।

12. कृषकों की आय बढ़ाने के सरकार की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करना आवश्यक है। खरीफ-2025 में मानसून के सामान्य रहने की सम्भावना है, जिसके दृष्टिगत खरीफ फसलों की रोपाई व बुआई समय से किया जाना आवश्यक है। खरीफ, 2025 के लिए निर्धारित कुल खाद्यान्न उत्पादन के 284.687 लाख मी.टन एवं तिलहन उत्पादन के 8.590 लाख मी.टन (कुल उत्पादन 293.357 लाख मी.टन) के लक्ष्य का फसलवार विवरण निम्नवत है:-

क्षेत्रफल- लाख हे. में

उत्पादन लाख मी.टन में

क्रम सं.	खाद्यान्न	आच्छादन का लक्ष्य	उत्पादन का लक्ष्य
1	धान (चावल)	65.000	214.500
2	मक्का	8.830	26.490
3	बाजरा	11.284	28.210
4	ज्वार	3.010	6.020
5	अन्य श्री अन्न	0.320	0.320
6	उर्द	4.830	3.758
7	मूंग	0.470	0.403
8	अरहर	3.680	4.986
	खाद्यान्न	**97.424**	**284.687**
9	तिल	4.380	2.190
10	मूंगफली	3.700	5.920
11	सोयाबीन	0.350	0.480
	तिलहन	**8.430**	**8.590**
12	कपास	**0.200**	**0.080**
	कुल	**106.054**	**293.357**

13. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत खरीफ-2025 के लिए फसल उत्पादन रणनीति के मुख्य पहलू निम्नवत् हैः-

- कृषि निवेशों की समय पर व्यवस्था।
- समय पर बुवाई/रोपाई की जाय।
- अरहर की बुवाई पंक्तियो/मेड़ों (रिज) पर बुवाई की जाय।
- समतलीकरण अनिवार्य रूप से किया जाय।
- फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर अप्रोच।
- फसल प्रणाली केंद्रित हस्तक्षेप-दलहन, तिलहन एवं मक्का को केन्द्र में रखते हुए।
- फसल सघनता में बढ़ोत्तरी।
- बीज प्रतिस्थापन दर एवं किश्म प्रतिस्थापन दर बढ़ाना।
- सिंचाई जल एवं पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना।
- उन्नत प्रोद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण।
- धान की बुवाई हेतु डी0एस0आर0 विधि को बढ़ावा देना।
- नाइट्रोजन फ़िक्सेशन हेतु जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- कीट नियंत्रण हेतु जैव कीटनाशी का उपयोग करना।
- धान की रोपाई से पहले हरी खाद (ढैंचा) का प्रयोग किया जाय।
- दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र अच्छादन व उत्पादन बढ़ाने के लिए बुन्देलखण्ड के जनपदों को केन्द्र बिन्दु बनाते हुए कार्य किया जाएगा।
- प्रत्येक फसल के सम्बन्ध में प्रगतिशील कृषकों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के दल को उन प्रदेशों में प्रशिक्षण/भ्रमण पर ले जाने की व्यवस्था की जाएगी जहाँ सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त की गई है।
- सिंचाई में वाटर यूज़ इफीशिएन्शी बढ़ाने के लिए नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कृषि कार्यों में ड्रोन आधारित तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

- दलहनी एवं तिलहनी फसलों में जिप्सम का प्रयोग किया जाये।
- मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग किया जायें।
- कम पानी चाहने वाली फसलों जैसे साँवा, कोदो, काकुन, ज्वार को बढ़ावा दिया जाये।
- आई0पी0एम0/आई0पी0एन0एम0 सूक्ष्म सिचाई को प्रणाली आदि के कौशल प्रदर्शन कराये जाये।

14. खरीफ उत्पादन लक्ष्य:-

प्रदेश के जनपदों हेतु खरीफ-2025 में फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं। खरीफ-2025 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 284.687लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन 8.590 लाख मीट्रिक टन कुल 293.357लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसलवार लक्ष्य निम्नवत् है:-

क्षेत्रफल- लाख हे0
उत्पादन- लाख मी0 टन
उत्पादकता- कुं0/हे0

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2023-24की उपलब्धि			वर्ष 2024-25 की उपलब्धि			वर्ष 2025-26 के लक्ष्य		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा0	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा0	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा0
1	धान (चावल)	61.87	175.39	28.35	72.24	212.25	29.38	65.000	214.500	33.00
2	मक्का	8.39	18.37	21.88	5.42	11.87	21.89	8.830	26.490	30.00
3	बाजरा	10.10	21.95	21.73	9.61	21.03	21.89	11.284	28.210	25.00
4	ज्वार	2.89	4.63	16.00	2.68	5.09	19.01	3.010	6.020	20.00
5	अन्य श्री अन्न	0.48	0.41	8.54	0.31	0.25	8.07	0.320	0.320	10.00
6	उर्द	7.11	4.42	6.22	3.82	2.39	6.26	4.830	3.758	7.78
7	मूंग	0.43	0.17	3.92	0.43	0.17	3.39	0.470	0.403	8.57
8	अरहर	4.24	5.22	12.30	0.92	1.13	12.30	3.680	4.986	13.55
कुल खाद्यान्न		**95.51**	**230.56**	**-**	**95.43**	**254.18**	**-**	**97.424**	**284.687**	**-**
9	तिल	4.02	1.17	2.90	4.18	1.21	2.91	4.380	2.190	5.00
10	मूंगफली	1.26	1.48	11.72	3.70	4.48	12.10	3.700	5.920	16.00
11	सोयाबीन	0.29	0.32	11.31	0.33	0.37	11.25	0.350	0.480	13.71
कुल तिलहन		**5.57**	**2.97**	**-**	**8.21**	**6.06**	**-**	**8.430**	**8.590**	**-**
12	**कपास**	**0.04**	**0.02**	**3.87**	**0.20**	**0.07**	**3.35**	**0.200**	**0.080**	**4.00**
कुल योग		**101.12**	**233.55**	**-**	**103.84**	**260.31**	**-**	**106.054**	**293.357**	**-**

जनपदवार, फसलवार लक्ष्य संलग्न किए जा रहे हैं। (संलग्नक-1)

15. कृषि निवेशों की आपूर्ति के लक्ष्य:- फसलों के उत्पादन में कृषि निवेशों की न केवल मात्रात्मक उपलब्धता बल्कि उनका सामयिक प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।

<u>प्रमाणित/संकर बीज</u>: खरीफ, 2025 में विभिन्न फसलों के प्रमाणित/संकर बीजों के वितरण तथा व्यवस्था का विवरण निम्नवत है:

क्र0 सं0	फसल	खरीफ 2024 की उपलब्धि (मात्रा कुं0 में)	खरीफ 2025 में लक्ष्य (अनंतिम) (मात्रा कुं0 में)	बीज प्रतिस्थापन की दर प्रतिशत में खरीफ 2025
1	धान(प्रमाणित)	785819	928000	63
2	धान(संकर)	231342	238482	100
धान योग		**1017161**	**1166482**	**68**
3	मक्का(संकुल)	25851	27000	38
4	मक्का (संकर)	75070	105410	100
मक्का योग		**100921**	**132410**	**75**
5	ज्वार(संकुल)	7359	15500	69
6	ज्वार(संकर)	9864	12045	100
ज्वार योग		**17223**	**27545**	**80**
7	बाजरा(संकुल)	8190	11500	39
8	बाजरा(संकर)	25954	27083	100
बाजरा योग		**34144**	**38583**	**68**
9	कोंदो (प्रमाणित)	2639	1530	100
10	सांवा (प्रमाणित)	2277	3450	100
11	मंडुवा(रागी) (प्रमाणित)	1513	1515	100
श्री अन्न – योग		**57796**	**72623**	**74**
13	तिल(प्रमाणित)	4652	7500	34
14	मूंगफली(प्रमाणित)	31805	170000	46
15	सोयाबीन(प्रमाणित)	4960	10250	37
योग		**41417**	**187750**	**45**
16	उर्द(प्रमाणित)	38811	37500	39
17	मूंग(प्रमाणित)	9267	8150	87
18	अरहर(प्रमाणित)	18448	23500	43
दलहन- योग		**66526**	**69150**	**43**
प्रमाणित / संकुल		**941591**	**1245395**	**57**
संकर		**342230**	**383020**	**100**
महायोग (प्रमाणित/संकुल+संकर)		**1283821**	**1628415**	**63**

जनपदवार प्रमाणित एवं संकर बीजों के लक्ष्य **संलग्नक-2 एवं 3** पर दर्शाये गये है।

16. उर्वरक :-

असंतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा मृदा की उर्वरा क्षमता में कमी होती है। इसलिये पी0एम0 प्रणाम योजना के अन्तर्गत एकीकृत तत्व प्रबन्धन करते हुये फसलोंत्पादन में संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग तथा यूरिया, डीएपी के वैकल्पिक उर्वरक यथा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, एन0पी0के0, यूरिया गोल्ड एवं जैव उर्वरकों के उपयोग को बढावा दिया जाये। प्रदेश में खरीफ, 2024 में 52.39 लाख मै0टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण/खपत हुई थी। खरीफ, 2025 हेतु भारत सरकार ने 54.01 लाख मै0टन उर्वरकों के उपलब्धता पर सहमति प्रदान की गई है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में फसलो के आच्छादन में बढोत्तरी या फसलो के बुवाई के पैटर्न में परिवर्तन होने के दृष्टिगत 5.16 लाख मै0टन उर्वरकों का खरीफ हेतु निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त रिजर्व स्टॉक के रूप में जनपदों को आवंटित किया गया है।

(मात्रा लाख मै0टन)

क्रम सं0	उर्वरक	खरीफ, 2024 की खपत	खरीफ, 2025 के लक्ष्य	लक्ष्य के अतिरिक्त रिजर्व स्टाक	कुल लक्ष्य (4+5)
1	**यूरिया**	39.00	37.59	2.33	39.92
2	**डी0ए0पी0**	7.00	8.07	1.93	10.00
3	**एन0पी0के0**	3.34	4.10	0.90	5.00
4	**एम0ओ0पी0**	0.48	1.25	0.00	1.25
5	**एस0एस0पी0**	2.47	3.00	0.00	3.00

जनपदवार उर्वरकों के वितरण के संस्थावार लक्ष्य संलग्नक-04 पर दर्शाये गये है।

17. जैव उर्वरक- खरीफ-2025-26 में एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत 14.50 लाख जैव उर्वरकों के पैकेटों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

18. फसली ऋण:- खरीफ-2024 में रू0 55811.49 करोड़ का फसली ऋण कृषकों को प्रदान किया गया था, जो लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। खरीफ-2025 में रू0 74817.58 करोड का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसली ऋण कृषकों को कृषि निवेशो को क्रय करने एवं फसल प्रबन्धन में सहायक है और इसका कृषि उत्पादन वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। खरीफ हेतु लक्षित फसली ऋणो की पूर्ति हेतु कृषि विभाग एवं बैकों के अधिकारियों के मध्य उचित समन्वय तथा आपके दिशा-निर्देशन में अभियान चलाकर लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति अपेक्षित होगी। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-05 पर दर्शाये गये है।**

19. किसान क्रेडिट कार्ड:- फसली ऋण वितरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की योजना वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2024-25 में मार्च, 2025 तक71.25लाख क्रेडिट कार्ड का वितरण सहकारी एवं व्यवसायिक बैकों द्वारा किया गया। वर्ष 2025-26 में 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा भी प्रदेश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-06 पर दर्शाये गये है।**

20. कृषि रक्षा रसायनः- विगत खरीफ-2024 में 9461.38 मै0 टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायनों का वितरण कृषकों में कराया गया। खरीफ-2025 हेतु 10560.00 मै0 टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया गया हैः-

क्र0 सं0	रसायन वर्ग	इकाई	खरीफ 2024 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	खरीफ 2025 हेतु संस्थावार प्रस्तावित लक्ष्य				
				कृषि	सहकारिता	गन्ना/ उद्यान	निजी	कुल योग
				25%	12.5%	12.5%	50%	100%
1	कीटनाशक धूल/ दानेदार	मै0टन	3185.17	800.00	400.00	400.00	1600.00	3200.00
2	कीटनाशक तरल	कि0ली0	745.65	190.00	95.00	95.00	380.00	760.00
3	फफूँदनाशक	मै0टन/ कि0ली0	836.72	210.00	105.00	105.00	420.00	840.00
4	तृणनाशक	मै0टन/ कि0ली0	1924.63	540.00	270.00	270.00	1080.00	2160.00
5	पी0जी0आर	मै0टन/ कि0ली0	60.00	25.00	12.50	12.50	50.00	100.00
6	मूषनाशक/धूम्रक	मै0टन	79.67	25.00	12.50	12.50	50.00	100.00
	योग		6831.84	1790.00	895.00	895.00	3580.00	7160.00
7	बायोपेस्टिसाइड्स	मै0टन/ कि0ली0	2629.54	850.00	425.00	425.00	1700.00	3400.00
	योग		9461.38	2640.00	1320.00	1320.00	5280.00	10560.00

जनपदवार व संस्थावार कृषि रक्षा रसायनों के लक्ष्य संलग्नक-07 पर दर्शाये गये है।

21. बायोपेस्टीसाइड्सः- फसलों पर कीटनाशी रसायनों के अवशेष तथा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि कीट/रोगों की रोकथाम हेतु रासायनिक उपचार के सापेक्ष जैविक रसायनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाय। खरीफ-2025 में वितरित किये जाने वाले बायोपेस्टीसाइड्स के लक्ष्य निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	बायोपेस्टीसाइड्स का नाम	इकाई	खरीफ 2024 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	खरीफ 2025 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा)		
				कृषि 25%	अन्यसंस्था 75%	योग

1	नीम आयल	कि0ली0/मै0टन	355.25	150.00	450.00	600.00
2	ट्राइकोडरमा	कि0ली0/मै0टन	1423.43	424.00	1272.00	1696.00
3	ब्यूबेरिया बैसियाना	कि0ली0/मै0टन	703.26	180.00	540.00	720.00
4	स्यूडोमोनास	कि0ली0/मै0टन	116.64	80.00	240.00	320.00
5	मेटाराइजियम	कि0ली0/मै0टन	15.36	6.00	18.00	24.00
6	वर्टीसीलियम	कि0ली0/मै0टन	10.63	6.00	18.00	24.00
7	बी0टी0	कि0ली0/मै0टन	4.54	3.75	11.25	15.00
8	एन0पी0वी0 (1000 एल0 ई0=1 ली0)	कि0ली0	0.42	0.25	0.75	1.00
योग			**2629.54**	**850.00**	**2550.00**	**3400.00**

जनपदवार वितरण के लक्ष्य संलग्नक-8 पर दर्शाए गए हैं।

22. **बायोएजेण्ट्सः**- पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विषरहित खाद्यान्न में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे परजीवी व परभक्षी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है, जो नाशीजीवों का विनाश करते है, जिससे कृषि लागत कम करके अधिक आर्थिक लाभ लिया जा सकता है एवं पर्यावरण तथा कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।

क्र0 सं0	**बायोपेस्टीसाइड्स का नाम**	**इकाई**	**खरीफ 2024 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)**	**खरीफ 2025 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा)**		
				कृषि	**अन्य संस्था**	**योग**
1	ट्राइकोग्रामा कार्ड	संख्या	22386	27000	81000	108000

23. कृषि निवेशों की उपलब्धता हेतु समय सारणी

खरीफ उत्पादन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था बुआई से पूर्व ही कर लेना अति आवश्यक है जिसके लिए विस्तृत कार्य योजना निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाय तथा प्रत्येक जनपद में विकास खण्ड व फसलवार उत्पादन योजना तैयार की जाय। कृषि निवेशों की आपूर्ति निम्न समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जायः-

(1) बीज व कृषि रक्षा रसायनः-

क्र0 सं0	**कृषि निवेश का नाम**	**जनपद स्तर पर उपलब्ध कराने की तिथि**	**बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध कराने की तिथि**	**उत्तरदायी अधिकारी /कर्मचारी**
1	ढैंचा बीज	10 अप्रैल से 30 अप्रैल	15 अप्रैल से	जि0कृअ0/स0नि0सह0
2	धान एवं मक्का बीज	01 मई से 25 मई	05 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0
3	ज्वार/बाजरा/मूंगफली बीज	05 मई से 31 मई	10 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0
4	सोयाबीन/उर्द/मूंग बीज	05 मई से 31 मई	20 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0
5	अन्य खरीफ फसलें (बीज)	05 मई से 31 मई	20 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0

(2) **उर्वरकों की आपूर्ति :-**

जनपदो को महावार लक्ष्य के सापेक्ष भारत सरकार एंव प्रदायकर्ताओ से जैसे-जैसे उर्वरको की आपूर्ति प्रदेश को प्राप्त होगी । जनपदो को उर्वरको की आपूर्ति सुनिश्चत की जायेगी। निम्न व्यवस्था के अनुसार उर्वरको की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है :-

स्तर	उ0प्र0 सह0 संघ	उ0प्र0 स्टेट एग्रो	गन्ना संघ	कृषि विभाग
राज्य स्तर	निबंधक, सहकारी समितियॉ	प्रबंध निदेशक	गन्ना आयुक्त	कृषि निदेशक
मण्डल स्तर	उप निबंधक, सहकारी समितियां	क्षेत्रीय प्रबंधक	संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त	संयुक्त कृषि निदेशक
जनपद स्तर	सहायक निबंधक, सहकारी समितियॉ	जिला प्रबंधक	जिला गन्ना अधिकारी	उ0 कृ0 नि0/जिला कृषि अधिकारी
विकास खण्ड	स0 बि0 अ0	प्रभारी बिक्री केन्द्र	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	व0 प्रा0 सहा0 ग्रुप-बी
उर्वरक बिक्री केन्द्र स्तर	सचिव, सहकारी समितियॉ	-	सचिव, गन्ना समिति	-

24- फसल सघनता में वृद्धि:-

फसल सघनता में वृद्धि हेतु कृषकों को दो या तीन फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। खरीफ में खाली पडे क्षेत्रों का कृषि में उपयोग एवं जायद में सिंचित क्षेत्रों में खेती को बढावा देने की आवश्यकता है। उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर फसल सघनता बढाने हेतु निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं:-

- प्रदेश में अभी भी अकृषित भूमि है विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जहॉ खरीफ फसलों का आच्छादन बढ़ाने की आवश्यकता है,अतः प्रयास कर खरीफ क्षेत्राच्छादन को बढाया जाय।
- उपरहार क्षेत्र जहां सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहॉ पर अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाय जिसके उपरान्त उसी खेत में तोरिया, उर्द आदि की फसल ली जा सके इससे उत्पादन बढ़ने के साथ ही फसल सघनता में वृद्धि होगी।
- सुनिश्चित सिचाई वाले क्षेत्रों में जायद की फसल लेने हेतु विशेष बल देने की आवश्यकता है। ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जाय, जिससे उपलब्ध जल की बचत के साथ ही अधिकाधिक क्षेत्र की सिचाई हो सके।

25. उत्पादकता में वृद्धि:-

कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता एवं नवीन तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। धान्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित/आधारीय बीज तथा संकर बीजों को बढ़ावा देना प्रस्तावित है, जिसके लिए विभिन्न स्रोतों से 9.41 लाख कुं0 उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित बीज तथा 3.42 लाख कुन्तल संकर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृषि निर्यात क्षेत्र विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बासमती धान की प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाय।

- प्रदेश में विभिन्न फसलों की उपलब्ध प्रजातियों की क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादकता बहुत कम है। अतः उत्पादकता में अपेक्षित सुधार के लिये विशेष प्रयास करना होगा।
- फसलों की समय से लाइनों से बुवाई/रोपाई की जाये।
- दलहनी फसलों विशेषरूप से अरहर की बुवाई मेडों (रिड्ज) में की जायें ।
- न्याय पंचायतों में कृषि निवेशों की उपलब्धता, विशेष रूप से उन्नत प्रमाणित बीजों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के साथ-साथ कौशल प्रदर्शनों द्वारा उन्नत कृषि प्राविधिकी की जानकारी दी जाय। प्रशिक्षणो/तकनीकी जानकारी सत्रो में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय।
- प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वर्षा पर निर्भरता घटायी जाय। इसके लिए जिन क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई के साधन हैं वहॉ पर वर्षा के ठीक पूर्व पलेवा देकर बुवाई/रोपाई की जाय जिससे वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व फसलों का जमाव सुनिश्चित हो जाये तथा विगत वर्षो में अनुभव किए गये सूखे की यदि पुनरावृत्ति हो तो उसके प्रभाव को कम किया जा सके।
- जनपद/क्षेत्र पंचायत स्तरीय अधिकारियों को विशेष अनुश्रवण के लिये न्याय पंचायतें आवन्टित की जाय और उनका मूल्यांकन किया जाय।

26. सिंचाई जल प्रबन्धनः-फसलोत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक होगा कि समय पर पर्याप्त सिचाई जल उपलब्ध हो। इस हेतु आवश्यक होगा किः-

- नहरों व उनकी अल्पिकाओं के टेल तक पानी समय से पहुंचे।
- नलकूप निरन्तर क्रियाशील रहें।
- निजी नलकूपों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहे।

अतः आपसे अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नहरों की सफाई समय से पूर्व हो जाय, रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध हो तथा नलकूपों को समय से ठीक करा लिया जाय।

27. कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन हेतु अनुदानः-

कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा फसल उत्पादन में होने वाले व्यय को कम करने के लिए कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके उपयोग से धन एवं समय की बचत के साथ-साथ कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देनें के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइनेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना चलाई जा रही है, इसके साथ ही एम0एन0ओ0पी0, एन0एफ0एस0एम0 एवं कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत भी कृषि यंत्रों एवं कृषि सुरक्षा उपकरणों पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। (कृषि यंत्रों के जनपदवार लक्ष्य **संलग्नक-10** पर दर्शाये गये हैं।)

(अ). सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनाः-

1. एकल कृषि यंत्रो पर अनुदान-

ड्रम सीडर, स्ट्रारीपर, वीडर, पावर आपरेटेड स्प्रेयर, मल्टीक्राप थ्रेसर, लेजर लैण्ड लेवलर, रोटावेटर, पौटैटो प्लान्टर, पोटैटो डिगर, शुगरकेन कटर प्लान्टर, कृषि ड्रोन, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टीलर इत्यादि पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, लघु सीमान्त एवं महिला कृषकों को कृषि यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत तक एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को 40 प्रतिशत तक यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

2. कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना-

सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिये ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी), सहकारी समिति, पंचायत एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) के लाभार्थियों का चयन किया जाता है। जिसमें रू0 10 लाख की परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 4 लाख अनुदान देय है। जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कर सके।

3. हाइटेक हब फार कस्टम हायरिंग-

हाइटेक हब फार कस्टम हायरिंग की स्थापना के लिये ग्रामीण उद्यमी कृषक एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) के लाभार्थियों का चयन किया जाता है जिससे रू0 100 लाख की परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 40 लाख अनुदान देय है। जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कर सके।

4. फार्म मशीनरी बैक-

फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिये कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) के लाभार्थी का चयन किया जाता है। जिसमें रू0 10 लाख तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत अधिकतम रू0 8 लाख अनुदान देय है जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कर सके।

ब. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजनाः-

1. कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना (एग्रीगेटर एवं कृषि उद्यमी हेतु)-

कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिये ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी), सहकारी समिति, पंचायत एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओं0) के लाभार्थियों का चयन किया जाता है। रू0 30 लाख तक की परियोजना लागत के कस्टम हायरिंग सेन्टर में 60 एच0पी0 से अधिक ट्रैक्टर एवं फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत अधिकतम रू0 24 लाख अनुदान देय है। जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कर सके।

2. फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्रों पर अनुदान-

प्रदेश में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अधिक लागत के इन सीटू क्राप रेजीड्यू मैनेजमेन्ट हेतु उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैपी सीडर, सुपर सीडर, श्रेडर, श्रब मास्टर, पैडी स्ट्राचापर/मल्चर, रोटरी स्लैशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जीरों टिल ड्रिल, बेलिंग मशीन, हे रेक, रीपर सेल्फ प्रोपेल्टड, रीपर कम बाईंडर, क्रय कर सके। योजनान्तर्गत कृषकों को इम्पैनेल्ड कंपनियों से यंत्र क्रय करने पर क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अथवा अनुदान की अधिकतम अनुमन्य सीमा दोनो मे से जो कम हो देय होगा।

28. कटाई के बाद प्रबन्धनः-

खरीफ फसलों की कटाई के बाद का प्रबन्धन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योकि नमी अधिक होने की दशा में भण्डारित अनाज/बीज जल्दी खराब होता है। अतः भण्डारण से पहले और फसल कटाई के बाद की समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाकर अनाज/बीज को सुरक्षित रखा जाय। माननीय

हरित न्यायाधिकरण द्वारा फसल अवशेषो को जलाये जाने पर रोक लगाई गयी है। इस सन्दर्भ में विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्देश भी जारी किये गये है, उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

29.नेशनल फूड सिक्योरिटी एण्ड न्यूट्रिशन मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में विभिन्न घटकों को प्रदेश के जनपदों में निम्नानुसार संचालित किया जाना है:-

i. चावल घटक (21 जनपद)
अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मीरजापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती।

ii. दलहन घटक (समस्त 75 जनपद)

iii. गेहूँ घटक (29 जनपद)
हाथरस, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, लखनऊ, अयोध्या, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।

iv. कोर्स सीरियल्स (मक्का व जौ) (24 जनपद)
मक्का (13 जनपद)- बहराइच, कन्नौज, मैनपुरी, जौनपुर, गोण्डा, बुलन्दशहर, हरदोई, कासगंज, फर्रूखाबाद, बलिया, उन्नाव, एटा, ललितपुर।
जौ (16 जनपद)- चित्रकूट, महोबा, बांदा, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, औरैया, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद एवं सोनभद्र।

v. न्यूट्री सीरियल्स (ज्वार व बाजरा- 32 जनपद)
ज्वार (17 जनपद)- चन्दौली, प्रतापगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, मीरजापुर, फतेहपुर, सीतापुर, चित्रकूट, उन्नाव, जौनपुर, हरदोई, बाराबांकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी एवं कानपुर देहात।
बाजरा (24 जनपद)- प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, जौनपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, शाहजहाँपुर, अमरोहा, चन्दौली, मुरादाबाद, बांदा, रामपुर, भदोही, वाराणसी, सीतापुर, बदायूं, संभल, गौतमबुद्धनगर, फर्रूखाबाद, बरेली, मीरजापुर, हरदोई एवं कन्नौज।
सावां (7 जनपद)- मीरजापुर, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, जौनपुर, प्रतापगढ़ एवं हरदोई।
कोदो (07 जनपद)- चित्रकूट, सोनभद्र, फर्रूखाबाद, भदोही, जालौन, मीरजापुर, चन्दौली।

vi. कामर्शियल क्राप्स (कपास-04, जूट-10, गन्ना-25 जनपद)
जूट- बहराइच, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर, देवरिया, गोण्डा एवं पीलीभीत।
कपास-आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस।
गन्ना- बलरामपुर, बस्ती, अम्बेडकरनगर, बरेली, बहराइच, अयोध्या, कुशीनगर, मुरादाबाद, गोण्डा, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, रामपुर, हरदोई, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, हापुड, लखीमपुर-खीरी, बिजनौर, बागपत, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर एवं शामली।

30. नेशनल फूड सिक्योरिटी एण्ड न्यूट्रिशन मिशन योजनान्तर्गत कृषकों को अनुमन्य सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण

क्र0 सं0	मद का नाम	इकाई	चावल घटक	गेहूँ घटक	दलहन घटक	कोर्स सीरियल्स (मक्का एवं जौ)	न्यूट्रीसीरियल्स (ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो)	अभ्युक्ति
1	कलस्टर प्रदर्शन (प्रत्येक 10 है0)	रू0/ है0	9000	9000	9000	7500 11500 Hyb.	7500	अनुदान
2	फसल पद्दति प्रदर्शन (निशुल्क)	रू0/ है0	15000	15000	15000	-	-	
3	बीज/ प्रमाणित बीज वितरण)							निर्धारित धनराशि अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो
	-संकर बीज	रू0/कु0	10000	-	-	10000	10000	
	-उन्नत शील प्रजातियो के बीज (10 वर्ष से कम की प्रजाति)	रू/ कु0	2000	2000	5000	3000	3000	
	-उन्नत शील प्रजातियो के बीज (10 वर्ष से अधिक की प्रजाति)	रू/ कु0	1000	1000	2500	1500	1500	
4	बीज उत्पादन-प्रमाणित		-	-	5000	-	3000	
	-संकर						10000	
5	कृषि रक्षा/ भूमि रक्षा प्रबन्धन							
	-सूक्ष्म पोषक तत्व	रू0/ है0	2500	2500	2500	-	2500	
	-जिप्सम/ सल्फर	रू0/ है0	-	2500	2500	-		
	-जैव उर्वरक	रू0/ है0	-	-	2500	-	2500	
	-कृषि रक्षा रसायन/ बायोएजेन्ट	रू0/ है0	2500	2500	2500	-	2500	
	खरपतवार नाशी	रू0/ है0	2500	2500	2500	-	2500	

कामर्शियल क्राप कपास, जूट एवं गन्ना वर्ष 2025-26

क्र0 सं0	कार्यक्रम	इकाई	कपास	जूट	गन्ना
1	प्रदर्शन-गन्ने के साथ सहफसली खेती	**रू0/ है0**	-	-	9000
2	प्रदर्शन-एकीकृत फसल प्रबन्धन	**रू0/ है0**	8000	-	-
3	प्रदर्शन-उत्पादन तकनीकी/ अन्तःफसली	**रू0/ है0**	-	9000	-
4	बीज वितरण	**रू0/ है0**	-	1000	-
5	कृषि रक्षा रसायन/बायोएजेण्ट	**रू0/ है0**	2500	-	500
6	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	रू0/ प्रशिक्षण	40000	40000	40000

31. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कार्यक्रम -

अ- रेनफेड एरिया डेवलपमेंट(आर0ए0डी0)-योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 65 जनपदों में 91 भू0सं0 ईकाइयों द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत प्रति कृषक परिवार को धनराशि रू0 30,000.00 का अनुदान देय है, जिससे प्रत्येक कृषक परिवार को फसलोंत्पादन, पौधरोपण तथा दुग्ध उत्पादन /पशुधन कार्यक्रम के साथ-साथ मत्स्य पालन, मौन पालन, साइलेजएवं वर्मी कम्पोस्ट इन चार में से कोई दो अतिरिक्त कार्य करने पर अनुदान दिया जाता है । वित्तीय वर्ष 2024-25 मेंरू0 5166.67 लाख की कार्य योजना के अन्तर्गत दिनांक 12-03-2025 तक उपलब्ध धनराशि रू0 2872.44 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1837.13 लाख का व्यय किया गया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि रू0 2133.00 लाख का एलोकेशन केन्द्रांश के रूप में निर्धारित किया गया है जिसमें राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू. 3555.00 लाख व्यय किया जाना सम्भावित है।

ब. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग:-

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 1886 क्लस्टर (94300 हे0 क्षेत्रफल) वित्तीय वर्ष 2024-25 में गठित किये गये है, जिसमें प्रत्येक क्लस्टर पर 02 वर्ष में कुल धनराशि रू0 में 14.268 लाख व्यय किये जाने का प्राविधान है। प्रत्येक क्लस्टर के हैण्ड होल्डिंग हेतु 02 कृषि सखी/चैम्पियन फार्मर तैनात किये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2025-26 में कुल धनराशि रू0 137.72 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत कुल 235750 कृषक लाभान्वित होगे। एक कृषक को अधिकतम एक एकड़ की सीमा तक सुविधाए अनुमन्य है, जिसमें दो वर्ष में कुल रू0 8000/एकड़ (04 किस्त) दिये जाने का प्राविधान है।

स. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (स्वायल हेल्थ एवं फर्टीलिटी) कार्यक्रम-

वर्ष 2024-25 की उपलब्धि

योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में लक्षित 8.26 लाख मृदा नमूनों के सापेक्ष 8.26लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण पूर्ण कर विषलेश्णोंपरान्तकृषकों कोशतप्रतिशत निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरितकरा दिये गये है।

वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित लक्ष्य-

योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 16520 ग्राम पंचायतों से 16.52 लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण, विश्लेषण कर कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रदेश में 150 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की एग्रीजंक्शन/ एफ0पी0ओ0 पर स्थापना एवं 1 जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

32. मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना:-

योजना का मूल उद्देश्य फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करना एवं भूमि सुधार करना है। यह योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को छोड़कर प्रदेश के 68 जनपदों में संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत कृषकों को जिप्सम पर 75 प्रतिशत अनुदान देय है, जिसमें से 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय योजनाओं यथा-एन०एफ०एस०एम०, एन०एफ०एस०एम० (ऑयल सीड्स) एवं 25 प्रतिशत अनुदान राज्य सेक्टर से अनुमन्य है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत 67552.00 टन जिप्सम वितरण का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष राज्य सेक्टर से धनराशि रू0 1500.00 लाख की कार्ययोजना की वर्ष 2025-26 में

प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं। परन्तु वित्तीय प्राविधान 284.05 लाख का हैं, जिसके सापेक्ष वर्ष 2025-26 में 26288.00 मै0 टन जिप्सम के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

33. प्रदेश में वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजनाः-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के समस्त जनपदों (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) में वर्षा तथा जल संचयन हेतु 8499 लक्ष्य के सापेक्ष माह 31 मार्च 2025 तक 2033 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2025-26 में 8499 लघु खेत तालाब निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में भी पूर्व की भाँति कृषकों को आनलाईन पंजीकरण द्वारा योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

34. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (AMDP) वर्ष 2025-26:-

- इस योजना में लाभार्थी को अधिकतम 02 हे० की सीमा तक ही अनुदान देय है।
- उन्नत तकनीकी प्रदर्शन में क्रमशः देशी मक्का, संकर मक्का, पाप कॉर्न मक्का में रु0 2400, 16000, 20000 प्रति एकड़ अनुदान देय होगा ।
- आत्मा योजनान्तर्गत निर्धारित नार्म्स के अनुसार कृषकों के समूह को 05 दिवसीय अध्ययन भ्रमण (यात्रा अवधि सहित) कराया जायेगा
- मक्का की थ्रसिंग के लिए मक्का थ्रेसर/मेज सेलर मशीन पर विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 40,000 जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
- मक्के के दाने को सुखाने के लिए बैच ड्रायर मशीन पर रु0 15 लाख अनुदान की व्यवस्था की गयी हैं।
- योजनान्तर्गत 75 जनपदों में मक्का खेती अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु योजनान्तर्गत 8000 ग्राम पंचायतो में किसान गोष्ठी / पाठशाला का आयोजन होगा। इसके लिए विकास खण्ड में गोष्ठियों का आयोजन आवश्यकतानुसार खरीफ, रबी एवं जायद में किया जायेगा, जिसमें प्रतिगोष्ठी रू0 15,000 का प्राविधान है।

35. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनाः-

वर्ष 2013-2014 से प्रदेश के समस्त जनपदों में सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्प की योजना संचालित की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना संचालित की जा रही है। सिचाई व्यवस्था में विद्युत की सामयिक अनुपलब्धता, बाधाओं एवं डीजल चालित पम्प सेटो से पर्यावर्णीय परिवर्तन में कमी लाने के दृष्टिकोण से वैकल्पिक ऊर्जा के रूप मे सोलर पम्प को सिचाई व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। सोलर पम्प की स्थापना से न केवल विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि ईधन इत्यादि के आवर्ती व्यय में भी कमी आयेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से योजना संचालित की जा रही है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर उक्त योजनान्तर्गत 2 एच0पी0 से 7.5 एच0पी0 तक के सोलर पम्पों पर मूल्य का 60 प्रतिशत अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्पों पर 7.5 एच0पी0 पर अनुमन्य अनुदान कृषको को उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत प्रदेश में 28811 कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 45000 विभिन्न क्षमता के सोलर पम्पों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

36. पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनाः-

पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना वर्ष 2024-25 में बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) संचालित की जा रही है।

योजनान्तर्गत 43850 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष 39558 हे0 (31 मार्च 2025 तक) समस्या ग्रस्त बीहड़/बंजर व जलभराव क्षेत्र का उपचार की प्रगति है। वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत 43850 हे0 समस्या ग्रस्त क्षेत्र अन्तर्गत बीहड़/बंजर 35600 हे0 व जल भराव वाले 8250 हे0 क्षेत्र का उपचार/वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित है।

37. राज्य योजनान्तर्गत संचालित जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग कोप्रोत्साहित करने का कार्यक्रम वर्ष 2025-26

- योजनान्तर्गत जैव उर्वरकों को उत्पादन कर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए कृषकों को 75 प्रतिशत एटसोर्स अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। कृषकों को जैव उर्वरक उत्पादन के लागत मूल्य रू. 21/- प्रति पैकेट (200 ग्राम) का 75 प्रतिशत एटसोर्स अनुदान उपरान्त धनराशि रू0. 5.25 प्रति पैकेट कृषक अंश पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14.50 लाखजैव उर्वरक पैकेटों का वितरण किया गया है।
- वर्ष 2025-26 में जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजनान्तर्गत 14.50 लाख जैव उर्वरक पैकेट (राइजोबियम, एजोटोवैक्टर तथा पी0एस0बी0) का उत्पादन कर कृषकों को 75 प्रतिशत एटसोर्सअनुदान पर वितरण कराया जाना प्रस्तावित है।

38. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE)

कृषि प्रसार के लिए उप मिशन **(SMAE)** का उद्देश्य विद्यमान प्रसार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT) स्कीम को सुदृढ़, विस्तृत एवं उच्चीकृत करना है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा जनपद की एग्रीकल्चर टेक्नालोजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी (ATMA) की गर्वनिंग वोर्ड की त्रैमासिक बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाय।

सामान्य कार्यक्रमः-

- विकास खण्ड स्तर पर कृषि एवं सहयोगी विभागों के प्रदर्शनों का आयोजन।
- कृषक-वैज्ञानिक संवाद का आयोजन।
- कृषक गोष्ठी एवं क्षेत्र दिवसों का आयोजन।
- कृषकों में जागरूकता पैदा करने तथा दक्षता विकास हेतु भ्रमणों का आयोजन।
- कृषक हितार्थी समूहों का गठन एवं क्षमता विकास।
- उपयोगी कृषि साहित्य का प्रकाशन।
- कृषि विकास में निजी क्षेत्रों की भागदारी बढ़ाना।
- कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- विकास खण्ड स्तर पर फार्म स्कूलों का आयोजन।
- कृषि से सम्बन्धित सफलता की कहानियों का प्रकाशन एवं प्रसार।
- अनुसंधान - प्रसार - कृषक - बाजार कड़ी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास करना।
- स्थानीय स्तर पर कृषि विभाग केन्द्रों/रीजनल अनुसंधान केन्द्रों की सहायता से कृषि तकनीक का परीक्षण एवं परिष्करण।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जनजाति हेतु कार्यक्रम।
- कृषक पुरस्कार

नवोन्मेषी कार्यक्रम -राज्य स्तरीय

- कृषि-प्रसार-प्रबन्धन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पी0जी0डी0ए0ई0एम0) मैनेज के माध्यम से।

<u>अन्य नवोन्मेषी कार्यक्रम-राज्य कम्पोनेन्ट</u>

- कृषि तथा सम्बद्ध विभागों द्वारा संचालित पब्लिसिटी कार्यक्रम।
- एस0एम0ए0ई0 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे- कृषक प्रशिक्षण, कृषक अध्ययन भ्रमण, मेला, कृषक-वैज्ञानिक संवाद, गोष्ठी आदि के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए श्री अन्न/दलहनी फसलों (अरहर, उर्द, मूंग आदि) फसलों पर विशेष बल देते हुए फसलों के उत्पादन तकनीकी, प्रसंस्करण, पैकैजिंग, मूल्य संवर्धन आदि विषयों पर कराया जाना प्रस्तावित है।
- कृषकों के हितार्थ नवोन्मेषी कार्यक्रम "द मिलियन फार्मर्स स्कूल" एवं आई0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए एन0आई0सी0 के माध्यम से आयोजित "**वैज्ञानिकों की बात-किसानों के साथ**" कार्यक्रम अन्तर्गत श्री अन्न, मक्का एवं दलहनी फसलों, प्राकृतिक खेती से संबन्धित समस्त विषयों को समाहित कर कृषकों को जागरूक किया जायेगा।
- प्रदेश के 59000 ग्राम पंचायतों में "**द मिलियन फार्मर्स स्कूल**" दलहन प्रधान विकासखण्डों में आयोजित किसान पाठशाला, तिलहन प्रधान विकासखण्डो में आयोजित किसान पाठशाला एवं मिलेट्स प्रधान विकासखण्डों एवं त्वरित मक्का विकास योजना (राज्य पोषित) अन्तर्गत आयोजित होने वाली योजनाओं के कनवर्जन्स से ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ एवं रबी सीजन में ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठी/किसान पाठशाला (किसानो की बात किसानो के साथ) कार्यक्रम का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य कृषि विकास योजानान्तर्गत "**के0 वी0 के0 उन्नत कृषि ग्राम योजना**" के माध्यम से किसानो की क्षमता संवर्धन (भ्रमण एव प्रशिक्षण) कार्यक्रम एवं इन्टीग्रेटेड फार्मिगं सिस्टम (IFS) मॉडल द्वारा उनकी आय मे वृद्धि कराया जाना है, साथ ही राज्य कृषि विकास योजानान्तर्गत संचालित "**Strenthing of Extention Functionaries For Sustainable Agricultural Development**" योजना के माध्यम से प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयो (04) द्वारा कृषि विभाग के प्रसार कार्मिको के साथ दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।
- प्रदेश में कृषि विभाग के 150 वर्ष पूर्ण होने के कारण राज्य में कृषि विकास/कार्यक्रम के मासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जो साल भर आयोजित होगें।

प्रसार सुधार सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना की वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना, जो भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स-2018 के अनुरूप थी, वर्तमान में भारत सरकार की संशोधित गाइडलाइन्स-2025 में दिये गये संशोधित कास्टनार्म्स के अनुसार योजनान्तर्गत कार्य मदो का विवरण-

सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना वर्ष 2025-26 हेतु संशोधित कास्टनार्म्स

गतिविधियाँ	विवरण	व्यय निर्धारण की सीमा	अभ्युक्ति
1- कृषक प्रशिक्षण	अ- अन्तर्राज्जीय	रू0 1500/- प्रति कृषक दिवस	औसतन 05 कृषक प्रति विकास खण्ड, 7 दिवसीय
	ब- राज्य के अन्दर	रू0 1250/- प्रति कृषक दिवस	औसतन 16 कृषक प्रति विकास खण्ड,5 दिवसीय
	स- जनपद के अन्दर (आवासीय)	रू0 500/- प्रति कृषक दिवस	औसतन 40 कृषक प्रति विकास खण्ड,2 दिवसीय
	द- जनपद के अन्दर	रू0 500/-प्रति कृषक दिवस	औसतन 223 कृषक प्रति विकास खण्ड,2 दिवसीय

2- प्रदर्शन	कृषि	रू0 6000/- प्रति प्रदर्शन (एक एकड़)	80 प्रदर्शन प्रति विकास खण्ड
	सहयोगी विभाग	रू0 6000/-प्रति प्रदर्शन (एक एकड़)	24 प्रदर्शन प्रति विकास खण्ड
3- कृषक भ्रमण	अ- अन्तर्राज्जीय	रू0 1500/- प्रति कृषक दिवस	औसतन 03 कृषक प्रति विकास खण्ड,7 दिवसीय (यात्रा अवधि को छोड़कर)
	ब- राज्य के अन्दर	रू0 1000/-प्रति कृषक दिवस	औसतन 16 कृषक प्रति विकास खण्ड,5 दिवसीय
	स- जनपद के अन्दर	रू0 500/-प्रति कृषक दिवस	औसतन 60 कृषक प्रति विकास खण्ड,1 दिवसीय
4- कृषक समूहो का गठन	कैपेसिटी बिल्डिंग	रू0 10000/- प्रति समूह (15 कृषको का समूह)	औसतन 15 कृषक समूह प्रति विकास खण्ड
5-किसान मेला	जनपद स्तर	रू0 600000/- प्रति जनपद	जनपद स्तर
6- कृषक वैज्ञानिक संवाद	जनपद स्तर पर (1 खरीफ में, 1 रबी में)	रू0 30000/- प्रति संवाद	कुल 2 संवाद प्रति जनपद
7- किसान गोष्ठी	विकास खण्ड स्तर पर (1 खरीफ में, 1 रबी में)	रू0 25000/- प्रति गोष्ठी प्रति विकास खण्ड	कुल 2 गोष्ठी प्रति विकास खण्ड
8- फार्म स्कूल माडल-1	प्रगति शील कृषक	रू0 32400/- प्रति फार्म स्कूल	04 फार्म स्कूल/प्रति विकास खण्ड/25 प्रशिक्षार्थी कृषक प्रति फार्म स्कूल
माडल-2	एवार्डी कृषक	रू0 20200/- प्रति फार्म स्कूल	01 फार्म स्कूल/प्रति विकास खण्ड/ 25 प्रशिक्षार्थी कृषक प्रति फार्म स्कूल

39. एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (चावल) योजनाः-

प्रदेश के चयनित 21 जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना- चावल घटक (एन0एफ0एस0एम0) संचालित की जा रही है। शेष 54 जनपदों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पोषित एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (चावल) योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के 54 जनपदों में चावल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु उक्त योजना संचालित की जा रही है ताकि चयनित जनपदों के समस्त कृषकों को धान फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 54 जनपदों में चावल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषकों को फसल प्रदर्शन पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

40. नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयल सीड्स) योजना वर्ष 2025-26:-

योजना का संचालन- प्रदेश की तिलहन सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु केंद्र पुरोनिधानित नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयल सीड्स) योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में क्रियान्वित की जा रही हैं। योजनन्तर्गत तिलहन कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है।

उद्देश्यः-

- प्रदेश में तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- प्रदेश की मांग के अनुरूप खाद्य तेलों की आवश्यकता की पूर्ति करना।
- तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन (क्लस्टर प्रदर्शन, ब्लॉक प्रदर्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट आदि) के माध्यम से

सहायता उपलब्ध कराना एवं कृषक प्रशिक्षण, फार्मर फील्ड स्कूल तथा तिलहन मेला के माध्यम से नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

कार्य क्षेत्रः-प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

41. उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों का गुण नियंत्रणः-

खरीफ 2025 में कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में वर्तमान में लगभग 84470 उर्वरक विक्रय केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त 87912 बीज तथा 66000 कृषि रक्षा रसायनों के पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक/बीज/कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध करानें का कार्यक्रम बनाया गया है। निरीक्षण के समय संदिग्ध उर्वरक, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों के नमूने अवश्य ग्रहित किये जाय। खरीफ -2025 में सघन छापे आयोजित कर उर्वरक, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों के नमूनें क्रमशः 12848, 18000 तथा 8000 है इनकी जनपदवार कार्ययोजना बनाकर अभियान के किया जाय। संदिग्ध उर्वरको/बीज/कृषि रक्षा रसायनों के नमूने ग्रहित कर विश्लेषणोपरान्त कृषि निवेश अमानक होने पर दोषी पक्ष के विरूद्ध सम्बन्धित अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-9 पर दर्शाए गए हैं।**

42. <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u>:

प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है। योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता का प्राविधान है। योजना में निम्न जोखिमों को कवर किया गया है:-

(i) प्रतिकूल मौसमीय स्थिति के कारण फसल की बुवाई ना कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति,

(ii) खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भू-स्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों- रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति,

(iii) फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति,

(iv) खड़ी फसलों को ओला-वृष्टि, जल-भराव (फसल धान को छोड़कर), भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति,

(v) फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओला-वृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा व चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति।

<u>सम्मिलित कृषकः</u>

योजना ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों हेतु स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी। ऋणी किसान बीमा कराने की अन्तिम तिथि खरीफ मौसम में 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर के 07 दिन पहले तक योजना में प्रतिभाग नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। यदि बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है तो कृषक अनिवार्य रूप से कवर नहीं होगा, अन्यथा अधिसूचित फसलों के लिए गए फसली ऋण पर नियमानुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। कृषकों द्वारा अपनी निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर/सीधे बीमा कम्पनी अथवा भारत सरकार के ऑन-लाइन पोर्टल- **www.pmfby.gov.in** के माध्यम से उल्लिखित अन्तिम तिथियों तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

बीमित फसल, बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदान:

कृषकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ में फसल धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन व तिल तथा रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू का बीमा कराया जा सकता है। सभी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम दर को खरीफ में बीमित राशि के 2 प्रतिशत तथा रबी में बीमित राशि के 1.5 प्रतिशत तथा खरीफ/रबी की वार्षिक नकदी फसल हेतु बीमित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम दर तक सीमित रखा गया है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

बीमा कवरेज हेतु निर्धारित तिथियॉं:

खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर की अंतिम तिथि तक बीमा कराया जा सकता है।

फसलों की क्षति का आंकलन व क्षतिपूर्ति का भुगतान:

योजना में फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में ग्राम पंचायतों में अधिसूचित फसलों पर सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर किया जाता है। प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति में आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप कृषकों को बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति देय होती है।

उपरोक्त स्थितियों में फसलों की क्षति का आंकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है।

फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में स्थानिक आपदाओं-ओलावृष्टि, जल-भराव (फसल धान को छोड़कर) भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति में व फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि में खेत में सुखाई हेतु रखी कटी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत कृषक के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इन स्थितियों में प्रभावित कृषकों को आपदा के 72 घन्टे के अन्दर स्वयं, अपने बैंक शाखा अथवा जनपद के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनी को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

फसल की मध्य अवस्था तक ग्राम पंचायत में 50 प्रतिशत से अधिक उपज में क्षति की स्थिति में कृषकों को सम्भावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25 प्रतिशत तक आंशिक क्षतिपूर्ति तात्कालिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। तात्कालिक सहायता की धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर आंकलित कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाता है। योजना के प्राविधानों के अनुसार कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होने पर बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है।

जिन ग्राम पंचायतों/फसलों में संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक कमी की संभावना हो, उनकी सूची जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण हेतु बीमा कम्पनी को दिया जाना आवश्यक है। जनपद स्तर पर गठित संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा निर्धारित अवधि में नियमानुसार सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट बीमा कंपनी एवं कृषि निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

अधिकृत बीमा कम्पनियॉं:-

वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 05 बीमा कम्पनियों - एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 (18 जनपद), एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (10 जनपद), इफ्को टोक्यो

जनरल इन्श्यारेंस कम्पनी लि0 (20 जनपद), एस0बी0आई0-जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि0 (08 जनपद), यूनिवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (19 जनपद), कुल 75 जनपद को अधिकृत किया गया है।

<u>पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना:</u>

प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों-कम व अधिक तापमान, कम व अधिक वर्षा, तेज हवा, आर्द्रता से फसल नष्ट होने की संभावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	मौसम	फसल का नाम	चयनित जनपदों के नाम
1	खरीफ	केला	बरेली, शाहजहाँपुर, बिजनौर, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराईच एवं श्रावस्ती(31 जनपद)
2	खरीफ	मिर्च	मेरठ, फिरोजाबाद, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर-खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर(22 जनपद)
3	खरीफ	पान	उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, महोबा, ललितपुर, हरदोई व लखनऊ (07 जनपद)
4	रबी	टमाटर	सहारनपुर, शामली, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, अलीगढ़, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शाहजहाँपुर, सम्भल, कन्नौज, कानपुर नगर, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, उन्नाव, सीतापुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बलरामपु(28 जनपद)
5	रबी	शिमला मिर्च	फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, लखनऊ, बाराबंकी(08 जनपद)
6	रबी	हरी मटर	एटा, कासंगज, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराईच(19 जनपद)
7	रबी	आम	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती (20 जनपद)

वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 के खरीफ मौसम में फसल केला, मिर्च व पान तथा रबी मौसम में टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मटर व आम को बीमित किया गया है।

- **फसलों की क्षति का आंकलन**- जनपद के चयनित ब्लॉक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर क्षति का आंकलन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत चयनित जनपदों में प्रत्येक ब्लॉक में दो स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिस पर तापमान, वर्षा, आर्दता आदि के प्रतिदिन के आंकड़े एकत्रित होते हैं। आंकड़ों में विचलन के आधार पर फसलवार बनाई गई टर्म-शीट के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाती है।
- **बीमा की इकाई- योजना में बीमित फसलों की क्षति का आंकलन ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर किया जाता है। योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में प्रत्येक ब्लाक में 2 स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित कराये गये हैं।**
- **सम्मिलित कृषक**- योजना को सभी कृषकों हेतु स्वैछिक आधार पर लागू किया गया है। बीमा न कराने की स्थिति में ऋणी किसानों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक लिखित रूप से बैंक को सूचित करना होगा, अन्यथा बैंक द्वारा प्रीमियम काट लिया जाएगा।
- **बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदान**- जनपद में फसल की उत्पादन लागत के बराबर बीमित राशि निर्धारित की गयी है। कृषक द्वारा औद्यानिकी फसलों हेतु बीमित राशि के अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्रीमियम दर को वहन किये जाने का प्राविधान है। कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर से अधिक प्रीमियम दर की समस्त धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है।
- **फसलवार बीमा कराने की अन्तिम तिथि**:-

  केला- 30 जून, मिर्च-31 जुलाई, पान-30 जून, टमाटर-30 नवम्बर, शिमला मिर्च-30 नवम्बर, हरी मटर-30 नवम्बर, आम-15 दिसम्बर।

  अधिकृत बीमा कंपनिया-वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ एवं रबी मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 05 बीमा कंपनियों- एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 (16 जनपद), एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (05 जनपद), इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्यारेंस कम्पनी लि0 (17 जनपद), एस0बी0आई0-जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि0(06 जनपद), यूनिवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (16 जनपद) कुल 60 जनपद को अधिकृत किया गया है।

43. मण्डल स्तरीय गोष्ठियों-

मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में किया जायेगा। इस गोष्ठी में कृषि एवं संबन्धित विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी भाग लेंगे। आवश्यकतानुसार मण्डल के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (परियोजना)/जिला विकास अधिकारी (परियोजना निदेशक) को आमंत्रित किया जाय। इन प्रशिक्षणों के आयोजन की पूरी व्यवस्था मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा की जायेगी।

44. जनपदीय गोष्ठियों

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जनपदीय गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। इनका संयोजन मुख्य विकास अधिकारी/उप कृषि निदेशक करेंगे। इन गोष्ठियों में आवश्यकतानुसार जनपद के विकास कार्यो से सम्बन्धित अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी भाग लेंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड के आवश्यकतानुसार प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाय।

45. विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियॉ :-

जनपदीय गोष्ठियों में ही विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियों की तिथियॉ निश्चित कर दी जाय। विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण को शीघ्र पूर्ण करने हेतु जनपद स्तर के अधिकारियों की आपस में दो-दो

टोलियॉ बनाकर उनको विकास खण्ड आवंटित कर दिये जाय। इन गोष्ठियों की अध्यक्षता परगनाधिकारी/प्रमुख क्षेत्र समिति द्वारा की जाय तथा आवश्यकतानुसार ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, सचिव एवं प्रगतिशील कृषकों को भी आंमत्रित किया जाय।

किसानो को अधिकाधिक रूप से फसलोत्पादन से सम्बन्धित जानकारियों आदि की वीडियो क्लीपिंग तैयार कराकर प्रदर्शित करायी जाय तथा सोशल मीडिया संसाधनों यथा ह्वाट्सऐप, जूम ऐप तथा गूगल मीट ऐप आदि का प्रयोग करते हुए कृषको को जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि मीडिया माध्यमों से जानकारियॉ किसानों को दी जाय। प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामसभा वार प्रगतिशील किसानों के सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर उन्हें नियमित रूप से सामयिक कृषि कार्यों विषयक जानकारियॉ दी जाय तथा ग्राम सभा के अन्य प्रगतिशील किसानों को अधिकाधिक संख्या में ह्वाट्सऐप ग्रुप बनाकर इन जानकारियों के प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

यह रणनीति सामान्य मानसून हेतु तैयार की गयी है। मानसून में अप्रत्याशित बदलाव परिलक्षित होने पर अथवा आंशका होने पर तत्काल स्थानीय स्तर पर आप वहां की भूमि, जलवायुविक परिस्थितियों के अनूकूल आकस्मिक योजना तैयार करते हुए शासन को कृषि निदेशक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषि योग्य समस्त भूमि पर अनिवार्य रूप से फसलें आच्छादित हों।

46. क्रियान्वयन एवं अनुश्रवणः-

खरीफ-2025 में मुख्य फसलों-धान, मक्का, उर्द, मूंगफली एवं तिल के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता संबन्धी लक्ष्य विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारियों से लेकर वरिष्ठतम अधिकारियों के बीच निर्धारित करते हुए कृषि निदेशालय द्वारा समुचित निर्देश निर्गत किये जाएंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक कर्मी व अधिकारी के वार्षिक कार्य के अप्रैजल में इन लक्ष्यों के प्राप्ति को अंकित/उल्लिखित किया जाएगा। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर करेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कुशल निर्देशन में कृषि उत्पादन एवं इससे सम्बन्धित सेक्टर्स में निर्धारित 3.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु अपना सक्रिय योगदान देकर खरीफ 2025 को पूर्णतः सफल बनाएगें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्याः32/2025/458(1)/2025/12-2099/90/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि – उद्यान, पशुपालन मत्सय, सिंचाई, सहकारिता उत्तर प्रदेश शासन।
3. परियोजना समन्वयक, उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
4. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कुलपति, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज ।

6. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, बांदा, मोदीपुरम मेरठ एवं कुमारगंज, अयोध्या।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
9. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रेहमानखेड़ा, लखनऊ।
11. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड0कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
18. मुख्य अभियन्ता, नलकूप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
22. प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, भू-मित्र भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
23. मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 पावर प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
24. महा निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
25. प्रबंन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
26. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
27. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
28. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भदरूख, रायबरेली रोड, लखनऊ।
29. निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर।
30. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण, छलेसर, आगरा।
31. निदेशक, केन्द्रीय औषधि एवं सगन्ध पौध अनुसंधान संस्थान।
32. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
33. निदेशक, राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
34. निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, सीजीओ काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
35. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर एवं मथुरा।
36. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
37. प्रबंध निदेशक, यू0पी को-आपरेटिव फेडेरेशन लि0, लखनऊ।
38. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 को-आपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
39. कृषि निदेशालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी/अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक।
40. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, लखनऊ।
41. प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा समादेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
42. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
43. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।
44. निजी सचिव, प्रमुख सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
45. निजी सचिव, सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

46. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
47. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।